तत्काल

सं. 45/06/2016-एफएफ(पी)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

स्वतंत्रता सेनानी तथा पुनर्वास प्रभाग

****

द्वितीय तल, एनडीसीसी भवन, जयसिंह रोड,

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

मुख्य लेखा नियंत्रक,
गृह मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 01

विषय : स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना, (एसएसएसपीएस) 1980 के अंतर्गत, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों के लिए पेंशन में वृद्धि।

महोदय,

यह उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 17/08/2016 के समसंख्यक आदेश के क्रम में है। यह सूचित किया जाता है कि मंत्रिमंडल ने दिनांक 21/09/2016 को आयोजित अपनी बैठक में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना, (एसएसएसपीएस) 1980 के अंतर्गत, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों के लिए पेंशन में वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है। इसके अलावा, यह निर्णय भी लिया गया है कि औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मौजूदा मंहगाई राहत प्रणाली, जो अब तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक आधार पर लागू थी, को समाप्त किया जाए तथा इसके स्थान पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू वर्ष में दो बार मंहगाई भत्ता प्रणाली लागू की जाए। इसे ''मंहगाई राहत'' का नाम दिया जाएगा जो पेंशनभोगियों के मामले में उपयुक्त शब्द है।

तथापि, इस प्रावधान का आशय स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्कीम के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन को केन्द्र/राज्य सरकार कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के पश्चात दी जाने वाली सेवा पेंशन के समतुल्य करना नहीं होगा ।

2. स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 को डीबीटी आधारित आधार की परिधि में लाने का निर्णय भी लिया गया है। एक बार पेंशनभोगी के डीबीटी आधारित आधार की परिधि में आने के पश्चात वे न केवल अपने बैंक एकांउट में सीधे धनराशि प्राप्त कर सकेंगे बल्कि आधार समर्थित माइक्रो एटीएम का उपयोग करते हुए बड़ी सरलता से धनराशि आहरित कर सकेंगे। वे अपने वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के लिए ''जीवन-प्रमाण'' का उपयोग भी कर सकेंगे और उन्हें इस उद्देश्य के लिए अपनी बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जनवरी, 2017 से आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से पेंशनभोगियों को आधार के सभी लाभ प्राप्त करने तथा उनकी पेंशन को एकीकृत रूप से वितरित करने के उद्देश्य से इन पेंशन खातों को उनके आधार नंबरों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जाए।

3. पत्र की शेष विषय-वस्तु वही रहेगी।

भवदीया,

(मीनू बत्रा)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23438062

सूचना तथा समरूप कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, लेखा एवं व्यय विभाग, मुम्बई। यह अनुरोध किया जाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों की विभिन्न श्रेणियों को दिनांक 15.08.2016 से बढ़ी हुई दरों के अनुसार पेंशन के भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

4. मुख्य नियंत्रक (पेंशन), केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ), भीकाजी कामा प्लेस, त्रिकूट-।।, होटल हयात रेजेंसी के पीछे, नई दिल्ली-110066
5. मुख्य लेखा नियंत्रक (पेंशन एवं विविध) जामनगर हाउस, नई दिल्ली-110011
6. लेखा अधिकारी, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003
7. सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव।
8. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
9. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 23.09.2016 की आई डी संख्या 39/सीएम/2016(1) के संदर्भ में।
10. 28 प्राधिकृत बैंकों के सीपीपीसीज़ (सूची संलग्न)।
11. गृह मंत्री के निजी सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
12. गृह सचिव/विशेष सचिव(एफ)/संयुक्त सचिव (एफएफआर) के निजी सचिव ।
13. स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।।, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
14. अनुभाग अधिकारी (आई टी) को पत्र की एक प्रति गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. 100 अतिरिक्त प्रतियां।

(मीनू बत्रा)
उप सचिव, भारत सरकार